न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी (पाली)

पीठासीन अधिकारी :- श्री हंसमुख कुमार, आर० ए० एस०

राजस्व विविध प्रकरण संख्या :- 33/2013
तारीख दायरा :- 21/10/2013

प्रार्थीगण :- बनाम अप्रार्थी :-

1- कुसुमबाई बेवा धनराजजी
2- कुंदनमल पुत्र धनराजजी
3- शांतिलाल पुत्र धनराजजी
4- चन्द्र प्रकाश पुत्र धनराजजी
5- दिनेशकुमार पुत्र धनराजजी
6- हंसमुखलाल पुत्र धनराजजी
7- सुशीला पुत्री धनराजजी
8- रेणुकुमारी पुत्री धनराजजी
9- लताकुमारी पुत्री धनराजजी
जातिगण तमाम सोनी निवासीगण
तमाम माहिलावास, साडडी
तहसील देसूरी जिला-पाली (राज०)

1- राजस्थान सरकार
जरिये तहसीलदार देसूरी
जिला पाली (राज०)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा० राजस्व अधिनियम
वास्ते रेकर्ड दुरुस्ती

उपस्थिति :-

(1) श्री जगदीशचन्द्र बोहरा अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
(2) श्री रामलाल मीणा नायब तहसीलदार, देसूरी पैरोकार सरकार की ओर से।

-: निर्णय :- दिनांक 23/01/2019

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136

किया कि मौजा सरहद ग्राम साण्डी चक नं० 2 स्थित आराजी पुराने खसरा नम्बर 1043 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा किस्म नेहरी दोयम खा० धनराजजी पुत्र पुखराजजी जाति सोनी निवासी साण्डी तहसील देसूरी की खातेदारी की खतौनी सम्वत 2030 से 2033 के विद्यमान रही है। इसी से जुड़ती कृषि भूमि ख० नं० 1042 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा किस्म नेहरी दोयम पुखराज पुत्र भीकाजी जाति सुनार व हरा पुत्र मनीरामजी घांची निवासीगण साण्डी की खातेदारी की कास्त व कब्जा शुदा खतौनी सम्वत 2030 से 2033 के विद्यमान रही है। पुखराजजी के देहावसान पर आराजियात उनके लड़कों के नाम दर्ज हुई।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में जाहिर किया कि सम्वत 2030 से 2033 की खतौनी पुराने खसरा नम्बरों के आधार पर अंतिम खतौनी है। तत्पश्चात राज्य सरकार के आदेश से भू-प्रबंध की कार्यवाही अमल में आई तथा पुन: पैमाइश की गई व भूमि का नया नक्शा बनाया गया व भूमि का नाप हेक्टर में दर्ज किया गया। व नई मिसल बंदोबस्त सम्वत 2051 से 2060 बनी व नये खसरा नम्बर 3108/6602 बनाकर उसका रकबा 01.08 हेक्टर किस्म-चाही अव्वल व जाव अव्वल दर्ज किये गये, किन्तु खातेदार के नाम में धनराज पुत्र पुखराजजी दर्ज करना चाहिये था, जिसके स्थान पर गलत खपेश पुखराज पिता का नाम धनराज सुनार दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार रेकर्ड बनाते समय लिपिकीय भूल हुई है। जिसे सुधारा जाना आवश्यक है। धनराजजी पुत्र पुखराजजी सुनार का भी देहावसान हो गया है जिनके वारिसान प्रार्थीगण वर्णित आराजियात नये खसरा नम्बर 3108/6602 रकबा 01.08 हेक्टर पर काबिज है व कास्त कर रहे है। ख० नं० 3105, 3106, 3107, 3108 का योग रकबा 1.12 हेक्टर दर्ज किया गया है। जिसके खातेदार पुखराज धनराज, [illegible] [illegible] [illegible] व धनराज पुत्र पुखराजजी कोम सुनार साकिन

01.08 हेक्टर में गलत रूपेण पुत्र की जगह पिता का नाम दर्ज किया गया है, जिसे दुरूस्त करना न्याय संगत है। जिसके अभाव में फौतेदगी नामान्तकरण की दर्ज नहीं हो रहा है। प्रार्थी के राशन कार्ड व रेकर्ड में धनराज पुत्र पुरखराजजी दर्ज होता आया है, जिसको सेटलमेन्ट के दौरान गलत रूप से पिता के स्थान पर पुत्र का नाम दर्ज कर दिया हो उक्त त्रुटि के संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम साइडी चक 2 स्थित आराजियात खसरा नम्बर 3108/6602 रकबा 01.08 हेक्टर की खातेदारी रेकर्ड के धनराज पुत्र पुरखराजजी, सोनार दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी भूमिधारी को वास्ते जवाब नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर जाहिर किया कि प्रार्थीगण के पिता का नाम धनराज पुत्र पुरखराज के स्थान पर पुरखराज पुत्र धनराज वक्त भू-प्रबंध कार्यवाही के दौरान दर्ज हुआ है जो जमाबंदी 2030 से 2033 से जाहिर है।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये - जमाबंदी सम्वत 2030 से 2033, जमाबंदी सम्वत 2066 से 2069, मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2041 से 2060, खसरा परिशोधन पत्रक सम्वत 2043, पासबुक धनराज पुत्र पुरखराज दिनांक 24-1-75 गत ख० नं० 1043 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा दर्ज है। नये खसरा नम्बर 3108/6602 रकबा 01.08 दिनांक 21-12-1995 जारीकर्ता पुरखराज पुत्र धनराज दर्ज किया गया। राशन कार्ड धनराज पुत्र पुरखराज का जारी है।

प्रकरण में बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण व पैरोकार सुनी गई। पत्रावली मय राजस्व अभिलेख, पासबुक प्रार्थी मय दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन से गत खसरा नम्बर 1042 व 1043 के नये खसरा नम्बर 3105, 3106, 3107, 3108 रकबा 1.12 हेक्टर बनता जिनमें

अवलोकन से प्रतीत होता है कि ख०नं० 3108 रकबा 2.08 में से 1.00 हेक्टर भूमि का रकबा सम्वत 2043 के परिवर्तन पत्रक में ARO ओवरराइट द्वारा नोट लगाकर कम कर वर्तमान ख० नं० 3108/6602 में पुखराज पुत्र चनराज का दर्ज कर अमल किया जाना चाहिए होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से यह प्रतीत होता है कि गत खसरा नम्बर 1043 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा जो चनराज पुत्र पुखराजजी सोनी के नाम दर्ज है। सेटलमेन्ट के दौरान नई मिसलबन्दोबस्त सम्वत 2041 से 2060 बनी व नये खसरा नम्बर 3108/6602 रकबा 1.08 हेक्टर। किस्म चाही के व बाद अमल दर्ज कर चनराज पुत्र पुखराजजी की जगह मुताबिक पुखराज पुत्र चनराजजी दर्ज कर दिया गया है जो clerical error की श्रेणी में आना पाया जाता है।

अतः ग्राम नाडोल चक नं 2 के वर्तमान खसरा नम्बर 3108/6602 रकबा 1.08 हेक्टर खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि में हुई त्रुटि की दुरस्ती की जाकर चनराज पुत्र पुखराजजी सोनार दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार देसूरी तदनुसार राजस्व रिकोर्ड में नाम की दुरस्ती का इन्द्राज करे।

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

निर्णय आज दिनांक 23/01/2019 को खुले इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी